भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2757
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः न्यूनतम समर्थन मूल्य की समीक्षा

2757. श्री अभय कुमार सिन्हाः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2023-25 के दौरान खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में राज्यवार वृद्धि की समीक्षा की है;
(ख) यदि हाँ, तो बिहार में मुख्य फसलों के लिए घोषित एमएसपी (2025-26) का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने बिहार में यंत्रीकृत कृषि और सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए कोई नई नीति स्वीकृत की है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की जिलावार संख्या कितनी है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख) : सरकार प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सुझावों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, किसी क्षेत्र या राज्य-विशिष्ट के लिए नहीं बल्कि पूरे देश हेतु 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। विपणन सत्र 2023-24 और उसके बाद के लिए 22 अधिदेशित फसलों हेतु घोषित एमएसपी का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।
(ग) और (घ) : सरकार वर्ष 2014-15 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) का कार्यान्वयन कर रही है। एसएमएएम अब केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य, 'कस्टम हायरिंग सेंटर' को बढ़ावा देने पर, उच्च तकनीक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए केंद्र बनाकर, विभिन्न कृषि उपकरणों का वितरण करके, प्रदर्शन और क्षमता वर्धन गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करके महिला किसानों सहित छोटे और सीमांत किसानों को विकास के केन्द्र मे लाकर कृषि यंत्रीकरण का लाभ प्रदान करके 'योजना से लाभों से वंचित किसानों तक पहुंचना' है।

बिहार राज्य में किसानों को वर्ष 2014-15 से 2025-26 (वर्तमान) तक 39535 कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद, 1129 कस्टम हायरिंग केंद्रों, 2 हाई-टेक हब और 874 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए एसएमएएम योजना के तहत कुल 231.58 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।

सरकार, वर्ष 2015-16 से बिहार सहित देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) भी लागू कर रही है। पीडीएमसी, सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान, पीडीएमसी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया। वर्ष 2022-23 से यह योजना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत कार्यान्वित की जा रही है। सूक्ष्म सिंचाई, जल की बचत के साथ-साथ फर्टिगेशन, श्रम व्यय, अन्य इनपुट लागतों के माध्यम से उर्वरक के उपयोग को कम करने और किसानों की समग्र आय बढ़ाने में मदद करती है। सरकार पीडीएमसी के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए सहायता प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित है। वर्ष 2015-16 से 2025-26 (वर्तमान) तक की अवधि के दौरान, कुल 233.75 करोड़ रुपये जारी किए गए, सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 35496 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया और बिहार राज्य में 30173 किसान लाभान्वित हुए।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2757 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर के संबंध में उललिखित विवरण।

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(विपणन सीजन के अनुसार) (रुपये/क्विंटल)

वस्तुएँ	खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2023-24	खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2024-25	खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2025-26
खरीफ फसलें			
धान (सामान्य)	2183	2300	2369
धान (ग्रेड 'ए')	2203	2320	2389
ज्वार (हाइब्रिड)	3180	3371	3699
ज्वार (मालदंडी)	3225	3421	3749
बाजरा	2500	2625	2775
रागी	3846	4290	4886
मक्का	2090	2225	2400
अरहर	7000	7550	8000
मूंग	8558	8682	8768
उड़द	6950	7400	7800
कपास (मध्यम रेशा)	6620	7121	7710
कपास (लम्बा रेशा)	7020	7521	8110
मूंगफली	6377	6783	7263
सूरजमुखी बीज	6760	7280	7721
सोयाबीन	4600	4892	5328
तिल	8635	9267	9846
रामतिल	7734	8717	9537
रबी फसलें	**रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2023-24**	**रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2024-25**	**रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2025-26**
गेहूँ	2125	2275	2425
जौ	1735	1850	1980
चना	5335	5440	5650
मसूर	6000	6425	6700
रेपसीड और सरसों	5450	5650	5950
कुसुम	5650	5800	5940
व्यावसायिक फसलें			
	2023-24	**2024-25**	**2025-26**
जूट	5050	5335	5650
	2023	**2024**	**2025**
कोपरा (मिलिंग)	10860	11160	11582
कोपरा (बाल)	11750	12000	12100

*****